

शौर्य पुरस्कारों तथा बुरस्कार समारोहों पर
व्यय की गई राशि

5371. श्री नलचन्द डगगा : क्या
रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) गत वर्ष शौर्य पुरस्कारों तथा
पुरस्कार समारोहों के आयोजन पर कुल
कितनी राशि व्यय की गई और क्या ऐसे
समारोहों के लिए प्रतिवर्ष कोई धनराशि
निर्धारित की जाती है और यदि हा, तो
तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ख) गत वर्ष शौर्य पुरस्कार वितरण
के लिए कितने समारोह आयोजित किए
गए तथा किन-किन स्थानों पर और उन पर
कितनी धनराशि व्यय हुई और कितने लोगों
को किन-किस प्रकार के शौर्य पुरस्कार दिए
गए ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राव) :
(क) तथा (ख). परम वीर चक्र तथा
शमशेर चक्र को हर वर्ष 26 जनवरी को
राष्ट्रपति गणतन्त्र दिवस परेड प्रारम्भ होने
से पूर्व प्रदान करते हैं। 1971 में राजपथ
पर एक अलकरण समारोह आयोजित किया
गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने एक शमशेर चक्र
प्रदान किया था। महावीर चक्र, कीर्ति चक्र,
वीर चक्र तथा शंभू चक्र जो वीरता के लिए

प्रदान किए जाते हैं तथा परम विशिष्ट सेवा
मैडल तथा प्रति विशिष्ट सेवा मैडल, विशिष्ट
उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है,
उन्हें राष्ट्रपति भवन में अलकरण समारोहों
में राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। 1971 में
6 अक्तूबर, 1971 को एक अलकरण समारोह
राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया
था जहां 14 परम विशिष्ट सेवा मैडल, 6
कीर्ति चक्र, 35 प्रति विशिष्ट सेवा मैडल
तथा 11 शौर्य चक्र प्रदान किए गए थे।
पदक प्राप्त कर्ताओं को अलकरण समारोह के
उपरान्त राष्ट्रपति भवन में जलपान कराया
गया था। उन्हें रक्षा मंत्री के द्वारा भी स्वागत
के लिए आमंत्रित किया गया था। पदक
प्राप्त कर्ताओं को दिए गए जलपान पर
लगभग 550 रुपए व्यय हुए थे।

सेना मैडल-नौ सेना मैडल वायु सेना मैडल
त्रिसे अमाधारण कर्तव्य-परगणना या सङ्घर्ष
के लिए जिन्हे सम्बन्धित सेवा में विशेष
महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया जाता है
तथा विशिष्ट सेवा मैडल उत्कृष्ट सेवा के लिए
विभिन्न स्थानों में आयोजित सम्बन्धित सेवा-
धर्मों के द्वारा प्रदान किया जाता है। 1971
में इन पदकों को प्रदान करने के लिए निम्न-
लिखित अलकरण समारोह आयोजित किए
गए थे —

पदक का नाम	अलकरण समारोहों की संख्या	प्रदान किए गए पदकों की संख्या	स्थान जहां आयोजित किया गया
सेना मैडल विशिष्ट सेवा मैडल	1	26 18	दिल्ली छावनी
नौ-सेना मैडल तथा विशिष्ट सेवा मैडल	1	10 27	बम्बई
वायु सेना मैडल तथा विशिष्ट सेवा मैडल	5	44 29	पालम बमरीली, त्रिवांन- नागपुर, कावली
		154	

चीफ आफ आर्मी स्टाफ के द्वारा सेना मैडल तथा विशिष्ट सेवा मैडल को प्रदान करने के लिए 2,500 रुपए प्रति वर्ष, चीफ आफ नैवल स्टाफ के द्वारा नौ सेना मैडल तथा विशिष्ट सेवा मैडल प्रदान करने के लिए 1,000 रुपए प्रति वर्ष तथा चीफ आफ एयर स्टाफ के द्वारा वायु सेना मैडल तथा विशिष्ट सेवा मैडल प्रदान करने के लिए 1,500 रुपए प्रति वर्ष, फर्नीचर, भाड़े के लिए, मच को सुसज्जित करने के लिए, पदक प्राप्त कर्ताओं तथा श्रुतिथियो—ग्रामवित्तो इत्यादि पर व्यय करने के लिए निर्धारित किए गए है ।

सेना—नौ सेना—वायु सेना मैडलो तथा विशिष्ट सेवा मैडलो का प्रदान करने के लिए विभिन्न अलकरण समारोहो और अन्य समारोहो पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता इत्यादि पर किए गए व्यय की सूचना को एकत्रित किया जा रहा है तथा यथा सम्भव भीष्म सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

सरकार द्वारा जीपो का बेचा जाना

5372. श्री मूलचन्द डागा : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी जीपो को जिन्हे वह उपयोगी नहीं समझती, बेच देती है ;

(ख) यदि हा, तो इस प्रकार किस किस की जीपे बेची गई हैं और ऐसा किसकी सलाह पर किया गया ;

(ग) क्या ऐसी जीपे ससद सदस्यो तथा विधान सभाओं के सदस्यो को उचित मूल्यो पर अलाट की जाती हैं ; और

(घ) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं, उन को अलाट करने को क्या कसौटी है और इन को किस ढंग से बेचा जाता है ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० ई० चव्हाण) :

(क) जो जीपे, विभिन्न सरकारी विभागो की आवश्यकताओं के अलावा फालतू होती है, उनके निपटान का प्रबंध करने के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डी०जी० एस० एड डी०), नई दिल्ली से कह दिया जाता है ।

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, इन जीपो का निपटान, जिनके बारे में उनमें कहा जाता है, या तो अग्रताप्राप्त मागकर्ताओं को देकर अथवा टेडर/नीलामी के द्वारा बेचकर करता है । सामान्यतया निम्नलिखित किस्म की जीपे निपटान के लिए प्राप्त होती है —

- (1) कार 5 हडरवेट 4 x 4 विल्ली,
- (2) कार 5 हडरवेट 4 x 4 निमान पेट्रोल -60 (जोगा), और
- (3) कार 5 हडरवेट 4, 4 फोर्ड जी पी दब्लू.

(ग) जी हा, रक्षा मन्त्रालय के द्वारा ।

(घ) ससद सदस्यो को ये आवंटन रक्षा-मन्त्रालय के परिपत्र संख्या 13(30)/68/4635/2/डी (प्रो-2) दिनांक 14-6-1971 के अधीन उन्हें परिचालित की गई शर्तों पर किया जाता है । इसी प्रकार विधान-सभाओं के सदस्यो के लिए प्राटन भी इन्हीं शर्तों के अधीन किया जाता है ।